UPMZ01006912025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी– (SMT. REKHA SINGH), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06490

<u>क्रिमिनल रिवीजन सं० 17/2025</u>

अमरीक सिंह पुत्र सेवा सिंह निवासी ग्राम शाहपुर, थाना रामराज, जिला मुजफ्फरनगर।
- ..... रिवीजनकर्ता

बनाम

1. उ०प्र० सरकार
2. जगदीप पुत्र मोहिन्द्र सिंह
3. सन्नी पुत्र गुरमीत
4. प्रदीप पुत्र गुरमीत
5. सुखरेन्द्र पुत्र कुलदीप
6. जोगेन्द्र उर्फ बिहारी पुत्र नामालूम .....प्रतिपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1. यह दाण्डिक पुनरीक्षण विविध प्रार्थनापत्र सं० 1685/2024 अमरीक सिंह बनाम जगदीप आदि अंतर्गत धारा 173(4)बी०एन०एस०एस०, में विद्वान सिविल जज सी०डि0/ त्वरित न्यायालय, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित **<u>15.01.2025</u>** के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2. निगरानीकर्ता द्वारा इन आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नगत निर्णय व आदेश बाबत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट तथ्यों एवं विधि विरूद्ध है, जो कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तगर्त धारा 173(4)प्रस्तुत किया जो माननीय अवर न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किये थाना पुलिस रामराज की कथित एवं झूठी आख्या के आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया, जो कानूनी पोषणीय नहीं है। प्रतिपक्षीगण ने गिरोह बना रखा है जिसका प्रतिपक्षी जगदीप सिंह सरगना है, प्रतिपक्षीगण इलाके के विदेशों में रहने वाले एन०आर०आई० की भूमि की बाबत फर्जी पॉवर ऑफ अटोर्नी

Digitally signed by REKHA SINGH
Date: 2026.07.18 15:53:53 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court-6
Muzaffarnagar

बनाकर उनके आधार पर फर्जी बैनामे करके अवैध धन ऐंठते रहते है तथा बजोम सरकशी दबंगई तौर पर जबरदस्ती कब्जा करते रहते हैं। जिसके क्रम में प्रतिपक्षी जगदीप सिंह ने 29.05.2023 को एन०आर०आई० जसपाल सिंह व उसकी पत्नी हरपाल कौर की करीब 16 एकड़ भूमि की फर्जी पावर ऑफ अटोर्नी बनाकर उसके आधार पर फर्जी बैनामे कर दिये, जिसकी जानकारी होने पर उक्त जसपाल ने निगरानीकर्ता जो जसपाल का सगा साला है प्रतिपक्षी जगदीप सिंह व उसके भतीजे सुखरेन्द्र सिंह व कई अभियुक्तो के विरूद्ध थाना जानसठ में मुकदमा पंजीकृत कराया जो न्यायालय में विचाराधीन है। अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न भूमि के मालिकाना हक सम्बन्धी खतौनी, पॉवर ऑफ अटोर्नी, जो प्रश्नगत भूमि का निगरानीकर्ता के पक्ष में टाईटल दर्शाता है, पर विचार किये बिना मनमाने ढ़ंग से सरसरी तौर पर प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश पारित किया है, जो कानूनी रूप से स्थित रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15.01.2025 को निरस्त किया जाकर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर दर्ज करायी जाकर प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाने की याचना की गई है।

3. निगरानीकर्ता उपस्थित आए। पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी विपक्षीगण उपस्थित नहीं आये हैं।

4. निगरानीकर्ता को सुना तथा अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली व निगरानी की पत्रावली का परिशीलन किया।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से बहस करते करते हुये यह कथन किया गया कि अवर न्यायालय ने आदेश में कोई त्रुटि नही की है। अवर न्यायालय ने विधि सम्मत प्रकार से निगरानीकर्ता/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. निरस्त किया है। अतः निगरानी निरस्त की जायें। विपक्षीगण के उपस्थित न आने के कारण सुनवाई का अवसर समाप्त किया गया।

6. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक रुप से परिशीलन किया।

7. निगरानी के स्तर पर निगरानी न्यायालय को प्रश्नगत आदेश की वैधता/शुचिता एवं आदेश पारित किये जाने का न्यायोचित आधार व औचित्य पर विचार करना होता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आदेश में यह भी देखा जाना आवश्यक है कि प्रश्नगत प्रकरण

में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अन्वेषण करने का आदेश दिया जाना आवश्यक था अथवा नही। ***सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 59 ए.सी.सी. 739 इलाहाबाद उच्च न्यायालय*** की पूर्ण पीठ में माननीय न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि विद्वान अवर न्यायालय अगर इस बात से संतुष्ट है कि प्रार्थना पत्र में दर्शायी गयी घटना तात्विक नही है तो धारा 156(3) द.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है।

8. अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4)बी०एन०एस०एस० पर पुलिस से आख्या मांगकर व प्रपत्रों के अवलोकन कर प्रार्थी/निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुन कर अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 15.01.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4)बी०एन०एस०एस० निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

9. धारा 173(4)बी०एन०एस०एस० /156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय विद्वान मजिस्ट्रेट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन के उपरांत यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत करवाये परंतु जब यदि विद्वान मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र को तात्विक नही पाते है तब वह उक्त स्थिति में प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का भी अधिकारी है। विद्वान मजिस्ट्रेट सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने हेतु बाध्य नही है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि उभयपक्ष के मध्य कृषि भूमि का विवाद है, जो कि अनन्य रूप से सिविल प्रकृति का होना तथा भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजो के निष्पादन से सम्बन्धित होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा थाने से आख्या का भी उल्लेख किया है तथा उक्त प्रकरण पर विचर करते हुए आदेश पारित किया गया है। तदनुसार प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत यह विदित होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4)बी०एन०एस०एस० के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित करना आवश्यक नही था। धारा 173(4)बी०एन०एस०एस० के प्रार्थना पत्र के कथनों से तथा प्रकरण में संलग्न प्रपत्रों के आधार पर यह विदित होता है कि अवर न्यायालय ने विधिक रुप से आलोच्य आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नही है। अतः यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या 17/2025 अमरीक बनाम उ०प्र० सरकार निरस्त की जाती है। तदानुसार विद्वान अवर न्यायालय, का आलोच्य आदेश दिनांकित 15.01.2025 पुष्ट किया जाता है। इस निर्णय की मूल पत्रावली अविलम्ब वापिस प्रेषित की जाए। तत्पश्चात् इस निगरानी की पत्रावली को नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जाए।

दिनांक –18.07.2026

(श्रीमती रेखा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–6, मुजफ्फरनगर।
J.O. Code– UP06490

निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एंव दिनांकित करके सुनाया गया ।

दिनांक –18.07.2026

(श्रीमती रेखा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–6, मुजफ्फरनगर।
J.O. Code– UP06490